ऑन लाईन नं. GCMS 2025/190

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 55/2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तत्कालिन कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

—आवेदक

बनाम

1. श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र श्री शिवलाल (विकेता) मैसर्स— बजाज इन्टरप्राईजेज, शॉप नं. 28, स्ट्रीट न. 3, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नं. 18 स्ट्रीट नंबर—2, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
2. श्री सोनिया बजाज पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज(मालिक), मैसर्स— बजाज इन्टरप्राईजेज, शॉप नं. 28, स्ट्रीट न. 3, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नं. 18 स्ट्रीट नंबर—2, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर।

—अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51,58

निर्णय

दिनांकः 27.02.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या प.5 (01) चिरया/ग्रुप—3/ई—5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक—आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.07.2025 को समय 02.30 पी. एम. बजे को मैसर्स— बजाज इन्टरप्राईजेज, शॉप नं. 28, स्ट्रीट न. 3, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर पर पहुँचे, मौके पर **श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र श्री शिवलाल बजाज** को अपना परिचय देकर संस्थान पर रखे **COW GHEE (GOKUL BRAND) 1 LITRE** के 15 जार पैक व 500ml-500ml के 9 जार पैक के बारे में जानकारी चाही, तो इस पर विकेता ने स्वयं को संस्थान का विकेता बताया तथा संस्थान पर रखे **COW GHEE (GOKUL BRAND) 1 LITRE** के 15 जार पैक व 500ml-500ml के 9 जार पैक को आमजन में वास्ते बेचान बतायो इसी खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **COW GHEE (GOKUL BRAND)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **COW GHEE (GOKUL BRAND) 1 LITRE** के 15 जार पैक व 500ml-500ml के 9 जार पैक में से 500ml-500ml के चार जार पैक को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ का नगद भुगतान 870 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **COW GHEE (GOKUL BRAND)** 500ml-500ml के चार जार पैक पर लेवल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–2025 दर्ज किया प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–2025 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र श्री शिवलाल बजाज (विक्रेता) एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलवन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में वन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील वन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एंव चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S.-/886/Act/2025/886 Dated 06-08-2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2925 Sub-Standard Food & Contravenes Regulation No.2.3.7(2)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विकेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया, खाद्योकारोबारकर्ता ने पुनः जांच करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण **वीरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र श्री शिवलाल (विकेता) और सोनिया बजाज पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज(मालिक), मैसर्स– बजाज इन्टरप्राईजेज, शॉप नं. 28, स्ट्रीट न. 3, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नं. 18 स्ट्रीट नंबर–2, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **COW GHEE (GOKUL BRAND)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51, 58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 31.12.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्तगण को तलब किया गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि न्याय निर्णयन आवेदन पत्र के सम्बन्ध मे प्रार्थीगण/विपक्षीगण को जो नोटिस जारी किया गया है उसका विरोध प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:–

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जांच रिपोर्ट का प्रतिरोध करते हैं तथा प्रार्थीगण को जो नोटिस खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है वह न्यायोचित नही है। मान्य नही है क्योकि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (गोकुल) वाण्ड सब स्टैण्डर्ड की श्रेणी नहीं आता है।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र तथा समस्त दस्तावेजात् जो परिवाद पत्र के साथ पेश किये है उनसे प्रथम दृष्टया मामला सब स्टैण्डर्ड ब्राण्ड का प्रार्थीगण के खिलाफ नही बनता है।
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29.07.2025 को विकेता फर्म मैसर्स बजाज इन्टरप्राईजेज दुर्गा विहार श्री गंगानगर राज० पर निरीक्षण दौरान वास्ते जांच खाद्य पदार्थ घी गोकुल ब्राण्ड का नमूना लिया गया था जो एफ.एस. एस. ए. आई. के नियमानुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया जा रहा था जिसे जांच मे सब स्टैण्डर्ड घोषित कर प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित नही है।
4. विपक्षी नं.1 उक्त फर्म पर मात्र देख रेख का कार्य करता है तथा उक्त फर्म उसकी स्वयं की नही है। तथा उक्त फर्म पर विक्रय का कार्य नही देखता था मात्र बाजार मे माल सप्लाई का कार्य करता था जिसके कारण विपक्षी नं. 1 को विक्रेता बनाकर परिवाद पेश करना न्यायसंगत नही है फर्म मूल रूप से विपक्षी नम्बर–1 की पत्नी विपक्षी नम्बर 2 सोनिया बजाज फर्म मैसर्स बजाज इन्टरप्राईजेज के नाम से है जिसकी समस्त जिम्मेदारी का भार विपक्षी नम्बर–2 का है खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी नम्बर–1 से उक्त फर्म पर नमूना लिया गया था जो न्याय संगत नही है जब फर्म का प्रोपराईटर मौजूद स्थिति में हो तो फर्म के प्रोपराईटर से नमूना लिया जाना न्यायोचित था इस कारण विपक्षी नम्बर 1 को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नही है।
5. नमूना खाद्य पदार्थ घी गोकुल बाण्ड 500 एम.एल जार. वास्ते जांच नमूना दिनांक 29.07.2025 को लिया गया था जिसमे फूड एनालिस्ट द्वारा नमूने की जांच में फैटी एसीड प्रोफाईल की जांच की है। जिसमे फोरेन फैट के कारण सब स्टेर्ल्ड घोषित किया गया है जबकि कथित खाद्य वस्तु घी जो कि दुग्ध देने वाले पशुओ से प्राप्त होता है तथा दुग्ध देने वाले पशुओ को जो भी पशु आहार दिया जाता है तथा उसकी प्रकृति को बनाये रखने के लिए वसा, खल, चूरी, फैट खिलाई जाती है उसी कारण से अप्रत्यक्ष रूप से दूध में अन्य स्रोतो से वसा आने की सम्भावना रहती है जिससे प्राप्त घी भी प्राकृतिक रूप से प्रभावित हो सकता है जिस कारण से विपक्षीगण व विकेता फर्म को दोषी नही ठहराया जा सकता।
6. परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी की गई वह एफ एस एस एक्ट की धारा 36 सपठित नियम एफ एस एस एक्ट नियम के तहत नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नही रखता था ना ही क्वालिफाइड था इस कारण से जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी परिवादी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

विधिवत रूप से नियुक्ति की योग्यता नही रखता था और ना ही क्वालीफाईड था तो उसके द्वारा नमूना लेने की कार्यवाही तथा उसके बाद की कार्यवाहीया एवं परिवाद पेश करने की कार्यवाही अवैध हो जाती है जिस कारण परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

7. अभियोजन स्वीकृति अभिहित अधिकारी द्वारा जारी की गई है वह एफ एस एस एक्ट की धारा 36 सपठित नियम 2.1.2 एफ एस एस एक्ट नियम के तहत नियुक्ति का निर्धारित योग्यता नही रखता था ना ही क्वालिफाईड था इस कारण से जो स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की गई है वह अवैध है स्वीकृति भी मैकेनिकल वे में बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये एवं बिना जांच रिपोर्ट का अवलोकन किये जारी की गई क्योंकि स्वीकृति में स्वीकृति अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष नही निकाला गया है कि नमूने में क्या कमी पाई गयी है तथा ना ही स्वीकृति में स्वीकृति जारी कटने के कारण ही दर्शाये गये है इससे सिद्ध होता है कि स्वीकृति बिना मनन किये जारी की गई है। इस कारण से भी प्रार्थीगण के विरूद्ध मामला निरस्त किये जाने योग्य है।

8. विक्रेता फर्म व विपक्षीगण अधिनियम के नियमानुसार ही पूर्ण रूप से घी में मौजूद सभी मानको के अनुरूप व पैरामिटर के आधार पर माल विक्रय का कार्य करते हैं खाद्य पदार्थ घी विक्रय किये जाने के पश्चात खाद्य पदार्थ घी में प्राकृतिक वातावरण मौसम रख रखाव तापमान के प्रभाव के कारण भी मानक कुछ स्तर पर उपर नीचे होने की संभावना रहती है जो मानव नियंत्रण से बाहर है इसलिए विक्रेता विपक्षी फर्म को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नही है।

अतः जवाब मय उज्रात पेशकर निवेदन है कि उपरोक्त उज्रात पर गौर फरमाते हुए प्रार्थीगण/विपक्षीगण के खिलाफ आवेदन पत्र निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **COW GHEE (GOKUL BRAND)** का सैम्पल **K-2925** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S.-/886/Act/2025/886 Dated 06.08.2025 अनुसार **Sub-Standard Food & Contravenes Regulation No.2.3.7(2)** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 58 में निर्धारित है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "GHee" bearing Code No and Sr. No. **K-2925,** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar **is Sub-Standard Food as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contains foreign fat (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee. The sample also contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 due to presence of foreign fat.** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

फलस्वरूप अभियुक्तगण **वीरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र श्री शिवलाल (विक्रेता) और सोनिया बजाज पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज(मालिक), मैसर्स– बजाज इन्टरप्राईजेज, शॉप नं. 28, स्ट्रीट न. 3, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नं. 18 स्ट्रीट नंबर–2, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 58 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **वीरेन्द्र कुमार बजाज पुत्र श्री शिवलाल (विक्रेता) और सोनिया बजाज पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार बजाज(मालिक), मैसर्स– बजाज इन्टरप्राईजेज, शॉप नं. 28, स्ट्रीट न. 3, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर, निवासी मकान नं. 18 स्ट्रीट नंबर–2, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर** को राशि **रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner